

2015, 10 एस.सी.आर. 250

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बनाम

प्रेबोन यमाने (आई) लिमिटेड

अपील संख्या 7607/2005

3 नवम्बर, 2015

विक्रमजीत सेन और शिव कीर्ति सिंह, जेजे.,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल)
विनियम, 1992 नियम 10;

शेड्यूल 3 क्लॉज 4- शुल्क संचालनीय लाभ- सेबी ने एक प्राविधिक शुल्क दायित्व विवरण जारी किया- प्रतिवादी की ओर से भुगतान के लिए प्रोस्टेट- एसएटी द्वारा राशि के पुनर्भुगतान हेतु निर्देशित किया गया- शेड्यूल 3 के क्लॉज 4 के प्रावधानानुसार प्रतिवादी एक इकाई के रूप में नहीं था, इसलिये शुल्क संचालनीय लाभ के हकदार नहीं थे- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक्ट, 1992

शेड्यूल 3 के क्लॉज 4 के अनुसार, प्रतिवादी वह संगठन नहीं था जैसा कि नियमों में विचारित किया गया था, जिसे शुल्क संचालनीयता या

शुल्क की भुगतान से मुक्ति प्राप्त होती है। यह नियम स्पष्ट रूप से एक नवीन गठन को संदर्भित करता है जो केवल वह इकाई है जो एकल प्रोपराइटरशिप या एक साझेदारी से प्रतिष्ठान से परिवर्तन के माध्यम से निर्मित किया गया है, जिसके द्वारा संचालनीयता का लाभ प्राप्त किया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी को प्रावधानों द्वारा बाधित किया जाता है, प्रस्तावित करने की आपत्ति से उत्पन्न हुई नोटिंग का कोई अर्थ नहीं है और प्रतिवादी को इसके विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचने से रोका नहीं जा सकता है। प्रतिवादी का तर्क है कि प्रस्तुत किए गए सर्कुलर की जारी होने के बाद अगर ऐसा ही था जैसा कि प्रतिवादी विश्वास करता था, तो यह स्थिर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता, तो वह 4.2.2002 को शुल्क संचालनीयता का अनुरोध करने के लिए पत्र नहीं लिखता। यहाँ तक कि यह प्रतिवादी सिद्ध करने में विफल रहा है कि वह यह साबित करे कि उसका विश्वास था कि उसे उसके उसी पत्र के प्रकाश में शुल्क संचालनीयता प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ओरेकल से पूरी तरह से अलग संगठन था, जिसका परिणामस्वरूप उसको शेड्यूल 3 के क्लॉज (अ) या (ब) के अनुसार शुल्क भुगतान करना होगा, और उसे क्लॉज (स) का लाभ दावा करने का अधिकार नहीं होगा। वास्तव में, यही प्रतिवादी का समझना था क्योंकि शुल्क उनके द्वारा क्लॉज (अ) के अनुसार इस परिणाम में जमा किए गए थे, जो क्लॉज (स) की सख्त विरोधी विशेषता में थे। पैरा 13, 264-सी-एच,

बी0एस0ई0 ब्रोकर्स फॉर्म बनाम सेबी (2001) 3 एससीसी 482; सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण 2009 (1) एससीसी 180, 2008 (14)एससीआर 598 -को प्रसंगित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ

(2001) 3 एससीसी 482, प्रसंगित किया गया, पैरा 7

2008 (14) एससीआर 598, प्रसंगित किया गया, पैरा 8

सिविल अपील प्रसंग:- सिविल अपील संख्या 7607/2005

सिक्यूरिटीज अपीलांट ट्रिब्यूनल मुंबई की अपील संख्या 338/2004 में आदेश दिनांक 17.08.2005 से।

चंद्र उदय सिंह, धवल मेहरोत्रा, भार्गवा वी. देसाई, सौम्या मेहरोत्रा, ऋषि गौतम अपीलकर्ता की ओर से।

सी. ए. सुंदरम, मयंक मिश्रा, तिशम्पति सेन, धीरज नायर प्रत्यर्थी की ओर से।

अदालत द्वारा फ़ैसला सुनाया गया।

विक्रमजित सेन, जी.

1. यह अपील सेक्यूरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (इसके बाद एसएटी के रूप में जाना जाता है) द्वारा 17.8.2005 को घोषित न्याय का आक्षेप

करती है, जिसमें अपीलकर्ता को समेत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (संक्षेप में एनएसई) को निरंतर प्रतिवादी को शुल्क संचालनीयता लाभ प्रदान करने के आदेश की आलोचना की जा रही है, जैसा कि एनएसई ने अपने सदस्यों को सेगमेंटल सदस्यता की स्वीकृति देने का निर्णय किया था। अपीलांत द्वारा मांगे गए शुल्क के प्रति प्रतिवादी ने प्रतिक्रिया में, यद्यपि विरोध के साथ, मुख्य राशि 4,37,20,256/- के साथ 26,96,590/- ब्याज के साथ दिया है। यह तथ्य यह है कि 27.5.1994 को, ओरेकल स्टॉक्स और शेयर्स लिमिटेड (इसके बाद ओरेकल के रूप में जाना जाता है), एनएसई द्वारा दो सेगमेंटों, थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) और इक्विटी मार्केट/कैपिटल मार्केट (ईएम/सीएम) में एक व्यापारी सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, 14.1.1999 को, ओरेकल ने एनएसई को सूचित किया कि वह प्रेबॉन होल्डिंग्स बी.वी. (प्रेबॉन ग्रुप) यानी प्रेबॉन यमाने (इंडिया) लिमिटेड (प्रतिवादी) के साथ 50-50 संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, लेकिन केवल डब्ल्यूडीएम सेगमेंट के संदर्भ में। संज्ञान लेते हुए कि यह अपील सेक्यूरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (इसके बाद एसएटी के रूप में जाना जाता है) द्वारा 17.8.2005 को घोषित न्याय के खिलाफ है, जिसमें अपील को समेत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (संक्षेप में एनएसई) को निरंतर प्रतिवादी को सशुल्क संचालनीयता लाभ प्रदान करने के आदेश की आलोचना की जा रही है, जैसा कि एनएसई ने अपने सदस्यों को सेगमेंटल सदस्यता की स्वीकृति देने का निर्णय किया था।

2. हमें इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि इन घटनाओं के बाद, अपीलकर्ता ने अपने पत्र द्वारा दिनांक 4.4.1999 को प्रतिवादी को स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रदान किया था। इस परमिशन को शर्त पर रखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान शामिल था, जो सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक-ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स, रेगुलेशन्स, 1992 में प्रदत्त था, जिसके मुख्य भागों को हम संदर्भ के लिए उद्धरण करेंगे। हालांकि, 4.4.1999 को दिनांकित पत्र में शामिल श्रेष्ठ शब्द यह हैं -

2. डी) वह 1992 के सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, रेगुलेशन्स में प्रदत्त विधि में पंजीकरण के लिए शुल्क की राशि देगा।

5. अब, पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्त क, के परिणामस्वरूप शेड्यूल-3 के अनुसार शुल्क देने की आवश्यकता है, जिसे सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, रेगुलेशन्स, 1992 के साथ पठनीय समझा जाता है, और उसे वह वही शेयर एक्सचेंज के माध्यम से भेजने की आवश्यकता है, जिसका आप सदस्य हैं। सभी शेयर एक्सचेंज को शेयर ब्रोकर से शुल्क वसूलने और बोर्ड को भेजने के संबंध में आवश्यक निर्देश अलग-अलग दिए गए हैं।

3. इस संचालन में, एनएसई, अपने पत्र दिनांक 30.1.2002 को, फिर से प्रतिवादी को सूचित किया कि दोनों सदस्यताएँ, जो कि विभिन्न एकाइयों में हैं, सहचर थीं। एनएसई का यह पुनरावृत्ति भरा स्थानीय नियमितता के अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपील को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने अनुरोध किया कि मामले के तथ्यों के आधार पर शुल्क संचालनीयता लाभ प्रदान किया जाए। अपील ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी से इस अनुरोध की प्राप्ति पर, इसने अपनी फ़ाइल नोटिंग्स में दर्ज किया कि दो सदस्यता कार्ड को संयुक्त रूप में देखा जा सकता है और इन दो कार्डों की टर्नओवर फीस के उद्देश्य से साथ में लिया जा सकता है। यह विवादास्पद नहीं है कि 2003 तक प्रतिवादी शुल्क संचालनीयता प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्राप्त कर रहा था। इस स्थिति को भी अपीलकर्ता ने स्वीकार किया, क्योंकि दोनों सदस्यता कार्ड को संयुक्त और सहचर रूप में देखा गया था और ओरेकल और प्रतिवादी के दोनों कार्डों की टर्नओवर को साथ में लिया गया था उस मूल्यांकन पर कि प्रतिवादी की डब्ल्यूडीएम सदस्यता ओरेकल की डब्ल्यूडीएम सेगमेंट की परतन थी।

4. 18.9.2003 को, प्रतिवादी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में डेरिवेटिव्स सेगमेंट में सदस्यता के लिए आवेदन किया, जिसे प्रक्रिया के अनुसार, एनएसई ने अपीलकर्ता की मंजूरी के लिए अग्रेषित किया। 24.6.2004 को, अपीलांत ने आवेदन को लौटाया और एक प्राविधानिक

शुल्क दायित्व स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें घोषित किया गया कि आवश्यक समायोजन करने के बाद, जिस राशि को भुगतान किया गया था संबंधित वीडिएम सेगमेंट में सदस्यता के लिए, उसके नाम पर उधारी देने योग्य राशि के रूप में 5,59,45,054 के प्रमुख और ब्याज के साथ अवस्थित अनभुगत बकाया थे। इसमें सूचित किया गया था कि आवेदन को केवल अवस्थित शुल्क के भुगतान के बाद ही पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने पत्र दिनांक 23.8.2004 को प्रतिवादी को, एनएसई ने स्पष्ट किया कि हालांकि व्यापारी सदस्यता की सेगमेंटल सरेंडर करने की अनुमति दिसंबर, 2002 से है, फिर भी इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब प्रतिवादी और ओरेकल ने जनवरी, 1999 में विषय योजना प्रस्तुत की थी, तो यह शर्त के साथ स्वीकृत की गई थी कि यदि इन एक किसी भी इकाइयों ने अपनी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय किया, तो दोनों इकाइयाँ समयान्तर में अपनी संबंधित सदस्यता समाप्त करनी होंगी।

5. प्राविधिक शुल्क दायित्व स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद, जिसमें एक शुल्क दायित्व की राशि 5,59,45,054 के रूप में घोषित की गई थी, प्रतिवादी ने 8.11.2004 को सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15टी से बनाई गई एक अपील दायर की थी। इस पर अपीलांत ने सेक्यूरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) के समक्ष विरोध किया, जिसने सम्यक् दृष्टि से देखा कि जब एनएसई ने प्रतिवादी को शुल्क संचालनीयता प्रदान की

थी, तब सेगमेंटल सरेंडर के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप, कुछ शर्तों के अधीन, नई इकाई के बावजूद प्रतिवादी को शुल्क संचालनीयता प्रदान की गई थी। एसएटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस पत्र का पहले से लगाया गया उन शर्तों को न रद्द करने का या मितीकरण करने का प्रभाव नहीं था, जो प्रतिवादी को ओरेकल से प्राप्त करने के समय विशेष रूप से लगाए गए थे। प्रतिवादी के वकील ने संदर्भित किया कि सत्त्व में, विशेष रूप से अपील के निष्पादन की प्रतीक्षा करते हुए, प्रतिवादी ने पहली राशि के रूप में 4,37,20,256 की राशि को अपीलांत की दावा की मुख्य राशि के प्रति भुगतान किया था और और एक अतिरिक्त राशि 26,96,590 के रूप में ब्याज के रूप में। हालांकि, एसएटी ने अपीलांत को निर्देश दिया कि दोनों राशियाँ प्रतिवादी को वापस करनी हैं। इसलिए, यह वर्तमान अपील की गई है।

6. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने संदर्भ की सुविधा के लिए एसईबीआई (स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स) नियम, 1992 की रेग्युलेशन 10 और शेड्यूल 3 पर संदारित किया है। यहाँ उनकी प्रतिलिपि दी जा रही है:-

10(1). प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक उसी राशि को और उसी तरीके से भुगतान करेगा, जैसा कि शेड्यूल 3 या शेड्यूल 3 ए में निर्दिष्ट किया गया है। यह उपादान करता है कि यदि कोई पर्याप्त कारण बताया जा रहा है, तो पर्याप्त कारण होने पर बोर्ड

स्टॉकब्रोकर को इस प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, जो कि उस तारीख से लेकर छः महीने की समय सीमा समाप्त होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

(2) जब कोई स्टॉक-ब्रोकर रेग्युलेशन 10 में दी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो बोर्ड को पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने की अनुमति है, जिस पर स्टॉक-ब्रोकर को स्टॉक-ब्रोकर के रूप में पेशे से जुड़ी सुरक्षा की खरीददारी, बेचाई या व्यवहार करना बंद करना होगा।

शेड्यूल 3 नियमन 10

स्टॉक ब्रोकर द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क:

1. प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर को, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, निम्नलिखित तरीके से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि इस तरह है:

(ं) जहाँ वार्षिक रोजगार कोई भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो प्रति वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार रुपये;

(इ) जहाँ स्टॉक-ब्रोकर का वार्षिक रोजगार एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो प्रति वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार रुपये तथा एक सौवीं हिस्सेदारी की एक सौवीं हिस्सेदारी पारित करनी होगी जो एक करोड़ रुपये से अधिक हैं।

(ब) प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच वित्तीय वर्षों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, स्टॉक-ब्रोकर को अपनी पंजीकरण को जारी रखने के लिए प्रति पांच वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें प्रारंभिक पंजीकरण के प्रदान की तारीख के बाद छठे वित्तीय वर्ष से आरंभ होता है। (वर्तमान में हटाया गया है)

4. जहाँ किसी व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्यता कार्ड को बोर्ड द्वारा गठित निगमन कार्यक्षेत्र से जोड़कर कॉर्पोरेट एंटीटी बनाई गई हो, तो ऐसी कॉर्पोरेट एंटीटी को उस समय के लिए शुल्क का भुगतान करने से मुक्ति प्राप्त होगी, जिस समय के लिए पहले की व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्य, जैसा कि प्रस्तुतिकरण के मामले में हो, पहले से ही शुल्क का भुगतान कर चुका है, यह शर्त के अधीन कि पूर्ववर्ती व्यक्ति या साझेदार कॉर्पोरेट में परिणत किये गए कॉर्पोरेट सदस्य के पूर्णकालिक निदेशक होंगे और ऐसे निदेशक को कम से कम तीन वर्षों के लिए इस प्रकार की परिणति की तारीख से निगमित निगमित निगमित स्वामित्व के पूर्णकालिक शेयरों का कम से कम 40 प्रतिशत संचालन करना चाहिए।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक्सचेंज के व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्यता कार्ड को कॉर्पोरेट एंटीटी में परिणत करना पुरानी एंटीटी की एक प्रकार की पुनरावृत्ति के रूप में माना जाएगा और उस प्रकार

के लिए पुनरावृत्ति शुल्क पुनः संग्रह नहीं किया जाएगा, जिस समय के लिए पूर्ववर्ती एंटीटी ने नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया है।

7. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह दावा किया है कि स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है, जिसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, उसे भुगतान करना होगा। जो राशि शुल्क के रूप में भुगतान के लिए प्रत्येक ऐसे सदस्य के द्वारा देनी है, वह से तय की जाती है अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार। हमें यह अनुस्मारक किया गया है क्लॉज 4 की अनुसूची 3 (उपरोक्त) पर, क्योंकि यह शुल्क के भुगतान की एकमात्र अपवाद प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से, हमें लगता है कि इस अपवाद को केवल उन व्यक्तियों की संभावित क्षमता के लिए बनाया गया है जो अपने व्यापारी कर्ज के संदर्भ में असीमित व्यक्तिगत दायित्व को अनगिनत करने के लिए संक्षिप्त रूप में संरचना की मोड को परिणत करने के लाभ का उपयोग करें, प्राप्त यह परिणति मूल्य की भुगतान में किसी प्रकार के अवैध शुल्क भुगतान से बचने के लिए यह अवस्था नहीं बनाई जा रही है; इसलिए बारी-बारी से 40 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की रखी जाने की ज़रूरत है। यह भी दर्शाता है कि अन्य सभी परिणतियों के लिए शुल्क परिश्रम द्वारा भुगतान किया जाना है, जो इसे अपने व्यापक व्ययों का भुगतान करने के लिए निर्भर करता है। सेबी द्वारा की गई वित्तीय मांगों की कानूनी उपयुक्तता को सुनिश्चित किया

गया है, जो बी.एस.ई. ब्रोकर्स फ़ोरम बनाम सेबी (2001) 3 एससीसी 482 में सही पाया गया है।

8. अधिवक्ता द्वारा भी इस तरह का आधार डाला गया है कि अपीलेंट द्वारा प्रतिवादी को जारी किया गया 4.4.1999 का पत्र, जिसमें यह शर्त (डी) के अनुसार उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी और उसी प्रकार की एंटीटी को शुल्क की राशि का भुगतान कैसे करना है, सर्वसाधारण रूप से मान्यता प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई थी। इस पत्र में उत्तरदाता से कहा गया था कि नियमों और विनियमों को सावधानी से पढ़ने का निर्देश दिया गया था। अभ्यर्थी के वकील ने यह दावा किया कि आंतरिक फ़ाइल नोटिंग्स के आधार पर प्रतिवादी शुल्क संचालनीयता की धारा में दावा नहीं कर सकता था। सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण 2009 (1) एससीसी 180 इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि स्टैच्यूट के खिलाफ़ एस्टोपल का कोई प्रभाव नहीं होता है।

13. इस प्रकार, जिस प्रश्न का विचार किया जा रहा है, वह है कि क्या तकनीकी समिति की सिफारिश जिसमें 17 मई, 2002 की मीटिंग की मिनट्स हैं, जिसमें अपीलेंट के पेट्रोल पंप्स को पुनर्वास करने की सिफारिश की गई है, क्या यह डीडीए पर बाधक आदेश/निर्णय है?

14. यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि विभागीय फ़ाइल में जो नोटिंग्स की जाती हैं, वह किसी प्रभावी आदेश की स्वीकृति नहीं होती है।

एक अधिकारी की नोटिंग उसके दृष्टिकोण का अभिव्यक्ति है। यह विषय पर उसके एक विचार का अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो संकाय के अन्य अधिकारियों के लिए और विभाग के अंतिम निर्णय निर्णयक प्राधिकारी के लाभ के लिए किया जाता है। यह उद्देश्ययुक्त रूप से जानकारी के लिए है कि आंतरिक नोटिंग्स बाह्य प्रकटन के लिए नहीं होती हैं। फ़ाइल में की गई नोटिंग्स केवल तब परिणामी आदेश में परिणत होती हैं, जब वह विभाग में अंतिम निर्णयक प्राधिकारी तक पहुंचती है; जब उसकी स्वीकृति मिलती है और अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाती है।

15. बचितर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, जहां एक संविधानिक बेंच की संयोजन आयी थी, उस अवसर पर इस सामग्री फैसले पर विचार किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जब तक कि किसी आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक वह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया नहीं माना जा सकता था। यह आदेश राजप्रमुख के नाम में व्यक्त किया जाना चाहिए था, जैसा कि इस लेख 166(1) में अनिवार्य रूप से कहा गया था, और फिर इसे संबंधित पक्ष को सूचित किया जाना चाहिए था। यहाँ सामान्यतः कोर्ट ने यह दृढ निर्णय दिया है कि जब तक कि किसी कार्रवाई को संविधानिक रूप से सही माना जाता है और यह संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक वह कोई आदेश नहीं माना जा सकता है। वह नोटिंग्स या आर्डर का

प्रतिनिधित्व नहीं करती है जब तक यह आदेश उस व्यक्ति को संबंधित किया जाता है। इससे पहले, वह केवल विभिन्न अधिकारों या उत्तरदाताओं की ओर संकेत दे सकती है।

आपने दिए गए संदर्भ में, यह कहा गया है कि राज्य का कारोबार एक जटिल प्रक्रिया है और इसे एक बड़े संख्या के अधिकारियों और प्राधिकृत प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जब किसी अधिकारी द्वारा किसी आदेश को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी प्रक्रिया संविधानिक आवश्यकता है, तो उस समय जो कुछ भी किया जाता है, वह किसी भी अधिकार या तृतीय पक्षों पर जिम्मेदारी डालने के लिए आदेश नहीं माना जाता है। यह संभव है, जिसमें किसी विशेष मामले पर किसी विशेष स्थिति पर किसी विचार का अभिव्यक्ति किया जाता है, उसमें किसी मंत्री या मंत्रिमंडल का एक विचार पहले के विचार के विपरीत हो सकता है। ऐसे मामलों में, दो मतों में से कौन सा मत राज्य सरकार का आदेश माना जाए, यह कठिन होता है। यह निष्कर्ष किया गया कि विचार किसी भी व्यक्ति को सूचित किया जाता है, तब ही यह सरकार का निर्णय बनता है।

16. इसी प्रभाव की बातें इसी प्रमाणी में इस अदालत ने लक्ष्मीनारायण आर. भट्टाद और अन्य बनाम महाराष्ट्र और एक अन्य में भी कही थीं, जहां यह कहा गया था कि संविधानिक प्राधिकृत अधिकार को

एक साक्षात्कार करने योग्य अधिसूचना के रूप में संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि एक प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो सके।

9. प्रतिवादी की भूमिका और होलेसेल डेब्ट मार्केट (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में उसकी भागीदारी की तरीका, जोराखोल प्रकरण में संदृढ रूप से दिखायी गई है, प्रतिवादी के पत्र में 4 फ़रवरी, 2002 की संग्रहीत जानकारी में संक्षेप रूप से समाहित की गई है। (यह पत्र, यहाँ तक कि जो तरह से आज तक के अनुसार, तो विचार में प्रतिवादी द्वारा संदर्भ में बड़ी संख्या में आदान-प्रदान किया गया, कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर उपलब्ध नहीं था। 18.9.2015 को हमने अपीलेंट से इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिसे उसके विद्वान सीनियर काउंसिल ने किया जिसने हमें आश्वासन दिया कि उसके विद्वान काउंसिल के लिए प्रतियाँ पहले ही प्रस्तुत कर दी गई थी) हमें उसकी सार्थकता से पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रतिवादी के मामले का संक्षेप है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का गठन 1993-94 में देने का दृष्टिकोण से किया गया था ताकि वे ऋण बाजार और पूंजी बाजार को प्रोत्साहित कर सकें। प्रारंभिक अवधि में उन्होंने केवल होलेसेल डेब्ट मार्केट (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट की सदस्यता जारी की थी। मैसर्स ओरेकल स्टॉक्स और शेयर्स लिमिटेड (ओरेकल) ने एनएसई के डब्ल्यूडीएम सेगमेंट की पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और उसकी सदस्यता प्राप्त की थी।

इसके बाद, एनएसई ने पूंजी बाजार सेगमेंट में सदस्यता जारी की, जिसमें वे सदस्य जो डब्ल्यूडीएम सेगमेंट की सदस्यता में थे, उन्हें एक अतिरिक्त जमा जमा करने पर स्वतंत्र रूप से सदस्यता प्राप्त हो गई थी।

ओरेकल ने आवेदन किया और उसे इक्विटी मार्केट (ईएम) सेगमेंट की सदस्यता प्राप्त हुई। एनएसई ने ओरेकल को एक नया पंजीकरण संख्या नहीं जारी किया और कंपनी ने दोनों सेगमेंटों में व्यापार करना जारी रखा। इस प्रकार, डब्ल्यूडीएम और ईएम सेगमेंट की सदस्यता को समकालिक रूप से संज्ञान में लिया गया था और ईएम सेगमेंट के लिए सेबी के लिए अलग से नई पंजीकरण नहीं किया गया।

1999 में, मैसर्स ओरेकल ने प्रेबॉन यमाने ग्रुप (डेब्ट और डेरिवेटिव्स में दुनिया भर में अग्रणी ब्रोकर) के साथ 50:50 संयुक्त उद्यम स्थापित करने की प्रस्तावना दी। प्रेबॉन यमाने ग्रुप ने दुनिया भर में ऋण सामग्री में विशेषज्ञ ब्रोकर होने के बावजूद केवल डब्ल्यूडीएम सेगमेंट में हिस्सेदार होने की मांग की। इसलिए, ओरेकल ने एनएसई से डब्ल्यूडीएम और ईएम सेगमेंट की गतिविधि को अलग करने के लिए प्रारूप किया। उस समय, नीति के हिसाब से, एनएसई डब्ल्यूडीएम और ईएम के लिए अलग-अलग सदस्यता जारी नहीं कर रहा था। एनएसई के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले को चर्चा करने के बाद और उनकी सलाह पर, निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूडीएम सेगमेंट का नाम प्रेबॉन यमाने (इंडिया) लिमिटेड

(पीवाईइंडिया) के नाम से काम किया जाएगा। प्रक्रिया औपचारिकता के हिसाब से, एनएसई ने एक अलग पंजीकरण संख्या जारी की (प्रेबॉन यमाने इंडिया लिमिटेड के नाम से)। ओरेकल ने नई इकाई में पूंजी का 50 प्रतिशत स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

यद्यपि मैसर्स ओरेकल और पीवाई इंडिया को ईएम और डब्ल्यूडीएम के लिए दो अलग-अलग पंजीकरण संख्याएँ दी गई थीं, एनएसई ने उस प्रकार का 15 मिलीयन जमा नहीं किया जो वह सामान्य रूप में नए डब्ल्यूडीएम सदस्यों के लिए करता है, जिसे वह ओरेकल के लिए करता होता है। इसके बजाय, एनएसई ने बस ओरेकल की कुल जमा राशि में से 10 मिलियन रुपये की राशि का हिस्सा (जिसका पूर्ण रूप से वापसी नहीं की गई) पीवाई इंडिया के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। पीवाई इंडिया ने एनएसई की डब्ल्यूडीएम सदस्यता के लिए नई जमा नहीं किया। इस प्रकार, एनएसई ने 1994 में ओरेकल और पीवाई इंडिया को दी गई कुल जमा राशि का हिस्सा विभाजित किया ताकि इन दोनों एकेक संगठनों को ईक्विटी और डेब्ट मार्केट में दलाली करने की अनुमति दी जा सके। इसके अलावा, एनएसई ने निर्धारित किया कि इन दोनों इकाइयों में से कोई एक सदस्यता समाप्त नहीं कर सकती है बिना दूसरी सदस्यता समाप्त करने के। इस प्रकार, एनएसई ने वास्तव में इन दोनों कंपनियों को एक संकल्प सदस्य के रूप में व्यावहारिक रूप से देखा।

एनएसई प्रेबॉन ग्रुप की परिचयकरण और फिर ओरेकल स्टॉक्स एण्ड शेयरस् लिमिटेड के डब्ल्यूडीएम सेगमेंट की प्रेबोन यमाने इंडिया लि0 को सौंपने के परिणामस्वरूप प्रवर्तन को मूल डब्ल्यूडीएम सदस्यता के रूप में देखता है, जो मैसर्स ओरेकल स्टॉक्स एण्ड शेयरस् लिमिटेड को प्रदत्त की गई थी। एनएसई की दृष्टिकोण, जिसमें पुष्टि की गई है कि दोनों सदस्यताएँ संयुक्त हैं, इस संदर्भ में यहाँ संलग्न की गई है।

उपरोक्त तथ्यों और एनएसई के दृष्टिकोण को देखते हुए, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो संयुक्त सदस्यता ओरेकल स्टॉक्स एण्ड शेयरस् लिमिटेड द्वारा ली गई है, उसे शुल्क संचालनीयता की स्थिति प्रदान करें। अन्य शब्दों में, यदि व्त्बसम ने 1994 से टर्नओवर फीस जमा की है, और ब्रोकिंग व्यापार 1994 से प्रारंभ हुआ है, तो ओरेकल स्टॉक्स एण्ड शेयरस् लि0 पर शेष अवधि के लिए कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए।

10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरंभ किया गया है कि एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण न करने पर ही जानकारी उपयुक्त नहीं है, और इसके बजाय, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या निकाय आत्म में समान हैं, क्योंकि विनियमनों में निकाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ वकील ने संकेत किया है कि क्योंकि ओरेकल, जो कि एक मौजूदा सदस्य था, में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, वास्तव में प्रतिवादी ओरेकल का एक और स्वरूप या अवतार था। इसके अतिरिक्त अपीलांत ने प्रत्यर्थी की

जांच की थी लेकिन उस समय कोई मुद्दा नहीं उठाया या कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। इस पर निर्भरता की गई है जो 30.1.2002 को एनएसई द्वारा प्रत्यर्थी को जारी किया गया पत्र, जिसमें कहा गया था कि एनएसई की नीतियों के अनुसार, व्यापारी सदस्यता की सेगमेंटल सरेंडर अनुमति नहीं थी, और इसलिए डब्ल्यूडीएम सेगमेंट की सौंपना प्रत्यर्थी का डब्ल्यूडीएम सदस्यता की वही सीमित जारी थी जो मूल रूप से ओरेकल को दी गई थी। इस पर युक्तियुक्त प्रतिवाद किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपने संदेह और भावना में परिवर्तन किया था जिसका परिणामस्वरूप उसके 28.3.2002 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि यदि किसी ब्रोकर के पास किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से एक से अधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं, तो उसे हर प्रमाणपत्र के लिए नियमों के अनुसार शुल्क देना होगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि यदि कोई ब्रोकर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर केवल एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रखता है लेकिन एक से अधिक कार्ड हैं, तो पंजीकरण शुल्क केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र पर देना होगा और ब्रोकर की टर्नओवर को सभी कार्डों की कुल टर्नओवर के रूप में गणना की जाएगी। प्रतिप्रेक्ष्य में यह उपबंधन दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट दिनांक 3.6.2010 में डब्ल्यूपी (सी) नंबर 17349/2004 में उल्लिखित था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ भारत सरकार के खिलाफ एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ दिल्ली स्टॉक ब्रोकर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नकारा दिया, और उसके खिलाफ यहाँ पर

सुनवाई प्रारंभ हो गई है। हालांकि, हमें यह आता है कि वह मुद्दे जिनकी चर्चा उन प्रक्रियाओं में की गई थी वे हमारे पास मौजूद मुद्दों से भिन्न हैं।

11. सीएटी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर भी आपत्ति की गई है। उसमें अपीलांत ने स्वीकृत किया कि प्रतिवादी ने फीस की निरंतरता के लिए आवेदन किया था, जिसकी पुष्टि पत्र दिनांक 4.2.2002 को भेजी गई थी, जिसमें एनएसई की पत्रिका भी सम्मिलित थी जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि उसने दोनों सदस्यताओं को संक्षेप में लिया गया था। एपेलेंट ने इसी के आधार पर स्वीकृति दी कि दो कार्डों को सभी प्रैक्टिकल उद्देश्यों के लिए संयुक्त रूप में लिया जा सकता है और इन दो कार्डों की टर्नओवर को एड-वैलोरम फी के उद्देश्यों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। हमने पहले से ही ध्यान दिया है कि सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन में यह कहा गया है कि फ़ाइल नोटिंग का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है जो अधिकारी या विभाग को बांधने का है।

12. अपीलकर्ता के वकील ने संदर्भित किया है कि प्रतिवादी ने संस्कृति एवं विज्ञान मंत्रालय (यहां एमएसडी के रूप में जाना जाता है) की अद्यतित नियमावली के अनुसार शुल्क नहीं दिया है। प्रतिवादी ने केवल बेसिक शुल्क दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसकी टर्नओवर वित्तीय वर्ष के लिए 1 करोड़ से अधिक नहीं थी। हालांकि, प्रतिवादी ने 1999, 2000 और 2001 में 5000 का फिक्स्ड बेसिक शुल्क दिया था।

यदि प्रतिवादी वाकई मानता था कि उसे निरंतरता प्रदान की गई थी, तो तब अनुच्छेद 1(ब) के अनुसार, प्रतिवादी ने केवल एक बार, 5 वर्षों के ब्लॉक के लिए केवल 5000 दिया होता। इसके अतिरिक्त, साबित करने के लिए कि प्रतिवादी को निरंतरता प्रदान नहीं की गई थी, उस दिशा में दो पत्रों का संदर्भ दिया गया। इन दो पत्रों में 4.2.2002 और 18.9.2003 की तारीखों के दो आवेदन थे जिनमें शुल्क निरंतरता प्रदान करने की मांग की गई थी। इस प्रकार, प्रतिवादी कभी भी इस धारणा में नहीं था कि उसको निरंतरता प्रदान की गई थी।

13. दोनों पक्षों के विशेषज्ञ कानूनी परामर्शों को मध्यस्थता करने और मामले के तथ्यों की महत्वाकांक्षा करने के बाद, यह स्पष्ट है कि शेड्यूल 3 की क्लॉज 4 के अनुसार, प्रतिवादी वह एंटिटी नहीं था जैसा कि नियमों में आविष्कृत किया गया था, जिसे फी संचालनीयता या फीस के भुगतान से मुक्ति प्राप्त होती। नियम 4 स्पष्ट रूप से एक नई एंटिटी का संदर्भित करता है जो एक एकल प्रोप्राइटरशिप या साझेदारी से सीमित कंपनी में परिणति के माध्यम से बनती है, जिसे केवल संचालनीयता के लाभ से सम्पन्न किया गया है। जैसे ही प्रतिवादी इस विधि द्वारा निषेधित है, एपीलेंट की आंतरिक फ़ाइल नोटिंग का कोई महत्व नहीं है और एपीलेंट को उलझन में नहीं डालने की अनुमति दी जाती है। यह तर्क कि अपीलकर्ता ने संकेत पत्रक 28.3.2002 को जारी करने के बाद बात

बदली थी, उस परियोजना के अनुसार असमर्थ है, क्योंकि अगर यही बात जो अपीलकर्ता मानता है, तो वह 4.2.2002 को एक संकेत पत्र जारी करता नहीं, जो कि संकेत पत्रक 28.3.2002 से पहले का था। इस प्रकार, उत्तरदाता ने यह साबित करने में विफलता प्राप्त की है कि उसने माना था कि उसे फी संचालनीयता प्राप्त की गई थी, उसके अपीलकर्ता से उसी की अनुरोध करने वाले पत्र के प्रकाश में। इसके अतिरिक्त, हमें लगता है कि प्रतिवादी ओरेकल से संपूर्ण रूप से विभिन्न एक एंटीटी था, जिस परिणामस्वरूप वह आवश्यकता होगी कि वह शुल्क का भुगतान शेड्यूल क्लॉज (ए) या (ब) के अनुसार करे, और वह इस लाभ का दावा नहीं कर सकती है कि वह क्लॉज (सी) का लाभ प्राप्त करे। वास्तव में, यह स्वयं उत्तरदाता की समझ है क्योंकि शुल्क उन्होंने उन्हें क्लॉज (ए) के तहत जमा किए गए थे, जिससे क्लॉज (सी) के स्पष्ट विरोध में हैं।

14. उत्तरदाता द्वारा जमा किए गए राशियाँ सही ढंग से की गई हैं। उत्तरदाता को इससे कोई वापसी का हक नहीं है। इस परिवाद को इसी के अनुसार निष्पादित किया गया है। सुनवाई के द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश को वापस लेने का आदेश जारी किया जाता है।

अपील स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहितास सिंह पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।